न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 119/2017 दायरा दिनांक : 24.07.2017

उनवान

1— लक्ष्मीनारायण पिसरान हीरालाल, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम हनुवतखेड़ा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

2— धनराज पिसरान हीरालाल, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम हनुवतखेड़ा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

3— पप्पू पिसरान हीरालाल, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम हनुवतखेड़ा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

4— महेन्द्र पिसरान हीरालाल, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम हनुवतखेड़ा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

5— शान्ति बाई पिसरान हीरालाल, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम हनुवतखेड़ा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

6— कैलाश बाई पिसरान हीरालाल, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम हनुवतखेड़ा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

7— गीता बाई पिसरान हीरालाल, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम हनुवतखेड़ा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

8— ललिता बाई पिसरान हीरालाल, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम हनुवतखेड़ा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— अध्यक्ष गोपाल गौशाला छबड़ा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

2— सचिव गोपाल गौशाला छबड़ा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

3— कोषाध्यक्ष गोपाल गौशाला छबड़ा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

4— श्रीमान् तहसीलदार साहब छबड़ा, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित —श्री तेजमल जैन एवं श्री वाई.एस.भटनागर अभिभाषक

अपीलांट की ओर से

श्री बालमुकुन्द गूर्जर अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 25.01.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा के प्रकरण संख्या — 125/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट का दावा अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया गया एवं प्रतिवादी रेस्पोडेंट का काउंटर क्लेम स्वीकार किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है । अपीलांट उपरोक्त विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार है एवं रेस्पोडेंट अपीलांट की 2 बीघा भूमि पर अवैधानिक रूप से अतिक्रमण किये हुए हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के वादीगण के पिता के पक्ष में दिनांक 29.06.1976 को हुए आवंटन को निरस्त मानकर रेस्पोडेंट के पक्ष में एडवर्स पजेशन के आधार पर काउंटर क्लेम स्वीकृत किया गया, जो कानून के सर्वथा विपरीत है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय खारिज फरमाया जावे एवं अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जावे कि अपीलांट के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 41 नियम 5 दस्तावेज के साथ पेश किया गया जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । उभयपक्षीस बहस अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया गया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है । अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर तनकीयात कायम की गई, परन्तु तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है । पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी सम्वत 2070–72 में अपीलांट खसरा नम्बर 137 एवं 208 में खातेदार दर्ज है । उपरोक्त आराजी का आवंटन राजस्व अभिलेख दिनांक 24.05.1989 को निरस्त करना अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में उल्लेखित है परन्तु इसका कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में सलंग्न नहीं है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त आराजी गोपाल गौशाला द्वारा कब्जा कर कोट बनाया हुआ है एवं खातेदार का कब्जा होना नहीं बताया गया है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्व मण्डल की फुल बैंच के निर्णय के अनुसार यदि कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा की गई है तो यहां रेवेन्यु बोर्ड के प्रकरण संख्या अपील/डिक्री/टीए/5176/2002/कोटा निर्णय दिनांक 30.08.2018 का उल्लेख करना उचित होगा कि एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । चूंकि उपरोक्त विवादित आराजी पर वर्तमान खातेदार का कब्जा नहीं है परन्तु खातेदारी दर्ज है एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिये गये निर्णय में यह दिया गया है कि उपरोक्त खातेदारी अधिकार आवंटन की शर्तों की पालना नहीं होने से वर्ष 1989 में खारिज कर दी गई तथा सहवन से रेकार्ड दुरूस्ती नहीं हो पायी है । यद्यपि इसका कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में सलंग्न नहीं है एवं उपरोक्त तथ्यों

का विवेचन केवल मात्र वकील प्रतिवादी के कथन के आधार पर किया गया है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट में भी इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवेचन नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इस सम्बन्ध में तनकीयात भी कायम की गई है कि आया उपरोक्त आराजी वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त में दर्ज चली आ रही है । उपरोक्त दावा वादीगण की अनुपस्थिति में खारिज किया गया । वादीगण को सुनवायी एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है एवं विधि सम्मत भी नहीं है । प्रतिवादीगण के केवल कथन मात्र से वादीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त कर दिये गये एवं प्रतिवादीगण को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये, जो राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 30.08.2018 के प्रतिकूल है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं होनें से खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादीगण को सुनवायी एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान करें एवं पुनः राजस्व मण्डल के निर्णय के मध्यनजर गुणावगुण के आधार पर निर्णय परित किया जाना सुनिश्चित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.04.2019 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा